

पूर्व मध्य रेल

सं०: ई.डब्ल्यू/एसबीएफ/आर.डी/2024-25

धनबाद, दिनांक : /05/2025

सभी शाखा अधिकारी

पूर्व मध्य रेल/धनबाद मंडल

विषय :- वर्ष 2024-2025 के लिए कर्मचारी हित निधि से बीमारी एवं आपदा में सहायता (रिलिफ इन डिस्ट्रेस) के लिए रेलवे कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को पास नियम के तहत अनुदान ।

संदर्भ: महाप्रबंधक (कार्मिक)/पू0म0रे0/हाजीपुर का पत्र - ईसीआर/
आईआरडब्ल्यू/सी.एस.बी.एफ बैठक/2023-24 दिनांक 30.04.2025

संदर्भित पत्र के आलोक में, वर्ष 2024-2025 में बीमारी के लिए एस0बी0एफ0 के रिलिफ इन डिस्ट्रेस मद से धनबाद मंडल के कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को पास नियम के तहत अनुदान दिया जाएगा, जिसका आवेदन प्रपत्र **Annexure-'C'** प्रस्तुत किया जा रहा है ।

रेलकर्मी, कर्मचारी हित निधि से, वर्ष 2024-25 में, निर्धारित संलग्न आवेदन प्रपत्र **Annexure-'C'** में भरे गए बीमारी का रेलवे चिकित्सक से प्रमाणीकरण के उपरान्त अपने नियंत्रक पर्यवेक्षक से अग्रसारित कराते हुए संबंधित शाखा अधिकारी के यहाँ दिनांक 23.06.2025 तक प्रेषित करेंगे एवं सभी शाखा अधिकारी समग्र रूप से प्राप्त आवेदन को दिनांक 30.06.2025 तक कार्मिक विभाग के ई.जी.आर.एस. अनुभाग को मूल रूप में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। आवेदकों को यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए तथा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनो पर विचार नहीं किया जाएगा ।

संबंधित प्रपत्र **Annexure-'C'** धनबाद मंडल के वेबसाइट www.ecr.indianrailways.gov.in - Divisions - Dhanbad - Personnel - Welfare activities पर अपलोड है।

अतः सभी शाखा अधिकारियों से अनुरोध है कि अपने-अपने विभाग के सभी यूनिट इंचार्ज को इस संबंध में सूचित किया जाय एवं इसका व्यापक प्रचार एवं प्रसार किया जाय जिससे बीमारी एवं आपदा में सहायता के लिए रेल कर्मचारियों के आवेदन, निर्धारित तिथि तक कार्मिक विभाग में जमा हो जाय और अधिक से अधिक कर्मचारी इसका लाभ प्राप्त कर सकें ।

Amarinder
19/5/25

कृते वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, धनबाद

प्रतिलिपि :

1. मुकार्याधी (सा0) - मं.रे.प्र./धनबाद महोदय के सादर सूचनार्थ ।
2. अमरेप्र (इंफ्रा), अमरेप्र (ओपी)/धनबाद को सादर सूचनार्थ ।
3. सभी सी.ओ.बी/ईसीआरइयु, को सूचनार्थ ।
4. मंडल सचिव/एस.सी.एस.टी/ ओबीसी एशोसियेशन/धनबाद को सूचनार्थ ।
5. सभी मुख्य कर्मचारी कल्याण निरीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने-अपने बीट पर इस आशय का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे ।
6. कार्याधी (आई.टी. सेल) - वेबसाइट पर पत्र इत्यादि अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
7. मुकार्याधी/ई.जी.आर.एस - सभी प्राप्त आवेदनों को कल्याण अधीक्षक को भेजा जाना सुनिश्चित करेंगे ।
8. सर्व संबंधित ।

Amarinder
19/5/25

कृते वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, धनबाद

Form for Relief & Distress**Annexure-'C'****पूर्व मध्य रेल/धनबाद मंडल के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए (जमा करने की अंतिम तिथि 30.06.2025)**

कर्मचारी हित निधि (एस0बी0एफ0) से वर्ष 2024-25 के लिए धनबाद मंडल में कार्यरत अराजपत्रित रेलकर्मियों व उनके परिवार (पत्नी/पुत्र/पुत्री) के चिकित्सीय सहायता राशि के लिए आवेदन प्रपत्र।

सेवा में,

सचिव, एस.बी.एफ समिति

पूर्व मध्य रेल, धनबाद।

भाग-अ- कर्मचारी का विवरण :-

1	कर्मचारी का नाम (हिन्दी में)	
	(अंग्रेजी में) ब्लॉक अक्षरों में	
2	पदनाम	3 पी.एफ.सं0
4	विभाग	5 कार्यस्थल/स्टेशन
6	कार्यरत अधीन	7 ग्रेड पे/लेवल
8	वर्तमान मूल वेतन	9 Bill Unit No.
10	कर्मचारी का मोबाइल संख्या	

भाग - ब - रोगी का विवरण :-

1	रोगी का नाम (हिन्दी में)	
	ब्लॉक अक्षरों में (अंग्रेजी में)	
2	रोगी से कर्मचारी का संबंध	
3	सुविधा पास के लिए पात्र है या नहीं	
4	रोग का प्रकार	कैंसर ☐ हृदय ☐ किडनी/लीवर ☐ अन्य ☐
5	रोग का नाम	
6	मेडिकल कॉलेज/हॉस्पिटल/संस्था का नाम जहां इलाज चल रहा है	
7	रेलवे से बाहर इलाज करवाने का कारण (Reason for non-availing Railway treatment)	
8	वर्ष 2024-25 में Vouchers के अनुसार इलाज के लिए व्यय राशि का विवरण (Vouchers enclosed)	
9	क्या किसी अन्य Sources/Medicaid etc. से इलाज हेतु कोई सहायता राशि प्राप्त किया है, तो विवरण दें।	
10	रेलवे चिकित्सक की अभियुक्ति एवं प्रमाणीकरण	

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त जानकारी बिल्कुल सही है। यदि वह गलत होगा तो मुझपर अनुशासनिक कार्यवाई चलायी जा सकती है साथ ही मुझे स्वीकृत की गई चिकित्सीय राशि को मैं वापस कर दूंगा/दूंगी।

कर्मचारी का हस्ताक्षर

श्री पदनाम विभाग में कार्यरत है। इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन पर अंकित नाम कार्यालय अभिलेख अनुसार सही है तथा सचिव/एसबीएफ/धनबाद को अग्रेतर कारवाई हेतु भेजा जा रहा है।

नियंत्रक अधिकारी का हस्ताक्षर, मुहर
एवं मो0 सं0-

नोट :-

- कृपया गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, हार्ट, किडनी आदि से ग्रसित आवेदक ही आवेदन करें। आवेदन पर रेलवे चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण/हस्ताक्षर के साथ जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- भुगतान I-Pass के माध्यम से किया जायेगा।
- कर्मचारी अपना Bill Unit No. अवश्य दें।